22.07.024

मु. नं. 16 / 2019

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सिगामान पटवार हल्का पुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 3,3 / 1755, 4, 5, 6, 57 से 74, 264, 265 जुमले रकबा 42.83 हैक्टयर व ग्राम केरवी के नवीन खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.04 हैक्टयर का आया हुआ है। जिसमें स्व. गोरधन के हिस्से की भूमि मे प्रार्थीया का 1 / 4 हिस्सा पुश्तैनी, शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त का आया हुआ है। स्व.गोरधन के फौतगी नामांतरकरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीया हिन्दू उत्ताराधिकारी मे विहित प्रथम अनुसूची की वारिश होते हुए भी नाम दर्ज नही कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से से ज्यादा अवैध व विधिविरूद्ध तरीके से ज्यादा भूमि का अवैध व गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज कर दिया है ऐसा इन्द्राज शून्य प्रभावी है जिससे अप्रार्थीगण को कोई हक हासिल नही होते है। गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को गलत तरीके से बैचान,रहन, करने के लिए तुले हुए है। तथा आराजी से बेदखल करने के लिए तुल हुए है। जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया गोरधन की पुत्री नही होकर काना की पुत्री है। काना व गोरधन आपस में सगे भाई है प्रार्थीया का गोरधन के हिस्से की जमीन में कोई कब्जा काश्त नही है तथा न ही प्रार्थीया स्व.काना की जायंदा संतान है। स्व. गोरधन के फौत होने पर फौतेदगी नामातरण स्व. गोरधन के प्रथम श्रेणी के तमाम वारिशानों का भरा गया था जो अप्रार्थी संख्या 8,9 व 10 व अप्रार्थी संख्या 10 की 4 पुत्रिया गोगी, परमेश्वरी, बाली व मांगी के नाम जमाबंन्दी में दर्जसुदा आये हुए है। एवं प्रार्थीया का नाम उसके पिता स्व. काना के वारिशों की प्रथम अनुसूचि के रूप में फौतेदगी नामांतरण के रूप में आया हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीया स्व. काना की जायंदा पुत्री है न की स्व. गोरधन की । ऐसी सुरत में सुरत में जाहिर है कि प्रार्थीया का स्व. गोरधन की भूमि में कोई कब्जा है ऐसे में प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का कोई अन्देशा नही है इसलिए प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीणी नही है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्ष की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के [illegible] अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] विरुद्ध जारी की जाती है कि मौजा सि[illegible] तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 3,3/1755, [illegible] 264, 265 जुमले रकबा 42.83 हैक्टयर व ग्राम [illegible] खसरा नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 418 र[illegible] 0.04 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner